माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023–24 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

1. सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में सम्पन्न विधान सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराईयों से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुँचाने के लिए, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तथा कांग्रेस पार्टी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं नादौन विधान सभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूँ।

2. कांग्रेस सरकार ने 11 दिसम्बर, 2022 को सत्ता की बागडोर सम्भाली तो विरासत में नाज़ुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उभरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूँ। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है कि यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज़ न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत् दस्तावेज़ सिद्ध होगा।

3. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्जे का बोझ और कर्मचारियों और पैंशनर्ज़ के एरियर एवम् मँहगाई भत्ते की 10 हज़ार करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली

सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचलवासी पर 92 हज़ार 833 रुपये का कर्ज हो गया है। जून, 2022 के बाद GST मुआवज़ा बन्द होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केन्द्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022–23 में 9 हज़ार 3 सौ 77 करोड़ रुपये से घटता–घटता 2025–26 में मात्र 3 हज़ार 2 सौ 57 करोड़ रुपये रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी।

4. मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए **"कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र"** का Policy Document के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र, 2022 में निहित गारंटियों में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं।

5. हम जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे और उनसे किए गए वायदों को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का संकेत हैं। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की धर्म–निरपेक्ष, सहभागी और लोकतान्त्रिक नीतियों के पक्ष में अपना मत दिया है। हम प्रदेश के तीव्र विकास तथा उसका लाभ सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को एक समान पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

6. हिमाचल प्रदेश वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया था और वर्ष 1971 में हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में भारत की तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमति इन्दिरा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री डॉ0 यशवन्त सिंह परमार के समय से हिमाचल विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान परिस्थितियों तथा भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। हमारी सरकार सत्ता–सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है।

7. शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण करने के तुरन्त बाद सचिवालय जाने की परम्परा को तोड़ते हुए मैंने टूटीकण्डी स्थित बालिका आश्रम में जाकर वहाँ रह रहे बच्चों के साथ विशेष भेंट की। उनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला तथा उनकी समस्याओं को जान पाया। मैनें उनके उत्थान के लिए **"मुख्य मन्त्री सुख–आश्रय योजना''** का शुभारम्भ किया।

8. हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही **''पुरानी पैंशन योजना (OPS)''** बहाल करने की घोषणा की है। इसका लाभ 1 लाख 36 हज़ार NPS कर्मचारियों को मिलेगा। 8,000 करोड़ रुपये की NPS राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है, उसे प्रदेश को लौटाने हेतु मंत्रीमण्डल द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राशि को केन्द्र सरकार से जारी करवाने के लिए विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अनुग्रह रहेगा।

9. हमें आज के समय की वास्तविकताओं को समझते हुए, आने वाली परिस्थितियों के लिए विकास की अवधारणा को बदलना होगा। यह सच है कि हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानकों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अन्य राज्यों की तुलना में संतुलित और समग्र विकास का आदर्श बना है। आज हमारे सामने मुख्य चुनौती विभिन्न क्षेत्रों में सिर्फ ढाँचागत विस्तार की नहीं, अपितु quality services प्रदान करने की भी है। बिना अध्यापकों के स्कूल, बिना

डॉक्टर के अस्पताल, बिना कर्मचारियों के कार्यालय– यह हिमाचल के विकास का आदर्श नहीं हो सकता।

10. बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य सुविधाओं को लोगों तक समय पर बिना किसी बाधा के पहुँचाने के लिए केवल नए दफ़्तर खोलने की बजाए लोक सेवा के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि जनसेवा के लिए Good Government के साथ Good Governance की ज़रूरत है।

11. वर्तमान समय तकनीक और सूचना क्रांति का समय है। Information Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning जैसे tool, काम करने की गति को कई गुणा बढ़ा देते हैं और खर्चे को कई गुणा कम कर देते हैं। आज हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। अनावश्यक खर्चों को कम करके विकास कार्यों की ओर ध्यान देना होगा। सीमित साधनों में ही प्राथमिकता तय करके हमें आगे बढ़ना होगा। व्यवस्था परिवर्तन के बिना प्रदेश के समृद्ध भविष्य की कल्पना सम्भव नहीं होगी।

12. आज पूरी दुनिया Green Technology की ओर बढ़ रही है। पूरी दुनिया में ऊर्जा उपयोग के नए विकल्पों पर तेज़ी से काम चल रहा है। बहुत सी innovations हर क्षेत्र में नई सोच उत्पन्न कर रही हैं, और कामकाज के परम्परागत तौर तरीकों को बदल रही हैं।

13. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिन्दुओं पर आधारित है और हिमाचल प्रदेश के विकास को तीव्र गति देने और बहुमुखी तथा समग्र बनाने की दिशा में एक नई व्यवस्था की पहल है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

14. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 में दर्शाए गए International

Monetary Fund (IMF) के आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2022 में 6.8 प्रतिशत् तथा वर्ष 2023 के लिए 6.1 प्रतिशत् आँकी गई है, जोकि पूर्व में अनुमानित वृद्धि दर से कम हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस आर्थिक सुस्त गति का हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें तथा बेरोज़गारी की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर के साथ–साथ प्रदेश में भी अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

15. अध्यक्ष महोदय, 2022–23 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत् रहने का अनुमान है। 2022–23 के दौरान हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय 10.4 प्रतिशत् की वृद्धि के साथ 2 लाख 22 हज़ार 227 रुपये रहने का अनुमान है। 2022–23 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 95 हज़ार 404 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

विकास बजट

16. 2023–24 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9 हज़ार 524 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। 'अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम' के लिए 2 हज़ार 399 करोड़ रुपये, 'जनजातीय विकास कार्यक्रम' के लिए 857 करोड़ रुपये तथा 'पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के लिए 104 करोड़ रुपये के व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं के लिए 3 हज़ार 397 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्तावित किए गए हैं।

ऊर्जा/ बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं

17. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक **'Green Energy State'** के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। इसके लिए जल विद्युत के अतिरिक्त सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएगें। 2023–24 में 500 मैगावाट सौर ऊर्जा की परियोजनाएं आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को पायलट आधार पर Green पंचायतों

के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से लेकर 1 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। पाँगी में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित ''**बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना**'' स्थापित की जाएगी।

18. मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि अथवा लीज़ पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत् अनुदान सहित अनुमति दी जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा की जाएगी।

19. राज्य को Green State बनाने की दिशा में, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश को 'Model State for Electric Vehicles' के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कड़ी में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से निजि एवम् सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से Electric वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रथम चरण में निम्नलिखित राष्ट्रीय एवम् राज्य उच्च मार्गों को electric वाहनों के माध्यम से Green Corridor के रूप में विकसित किया जाएगाः–

- परवाणू – नालागढ़ – ऊना – हमीरपुर – देहरा – अंब – मुबारकपुर – संसारपुर टैरेस – नूरपुर।
- पाँवटा – नाहन – सोलन – शिमला।
- परवाणू – सोलन – शिमला – रामपुर – पिओ – पूह – ताबो – काज़ा – लोसर।
- शिमला – बिलासपुर –हमीरपुर – काँगड़ा– नूरपुर – बनीखेत – चम्बा।

- मंडी – जोगिन्दरनगर – पालमपुर – धर्मशाला – काँगड़ा – पठानकोट।

- कीरतपुर – बिलासपुर – मंडी – कुल्लू – मनाली – केलाँग – ज़िंगज़िंगबार।

20. हमारी सरकार आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को electric परिवहन के रूप में विकसित करेगी। इससे Fossil Fuel पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। मैं ई–वाहन क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए, निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ✓ Private Bus Operators को e-bus खरीद के लिए 50 प्रतिशत् की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान दिया जाएगा।

- ✓ Private Truck Operators को e-truck खरीद के लिए 50 प्रतिशत् की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान दिया जाएगा।

- ✓ Private Operators को charging stations के लिए 50 प्रतिशत् की दर से उपदान दिया जाएगा। इसके लिए राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से एक विस्तृत परियोजना बनाई जाएगी।

21. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को 'Green State' के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार का प्रयास वायु, ध्वनि और अन्य सभी प्रकार के प्रदूषणों को कम करने पर रहेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में पथ परिवहन निगम की अधिकतर डीज़ल बसों को ई–बसों से बदला जाएगा। वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में 75 ई–बसें और 50 ई–टैक्सियों का संचालन कर रहा है। मैं

हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीज़ल बसों को ई–बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने की घोषणा करता हूँ। इस पर 1,000 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है। पहले चरण में, नादौन में एक नया ई–बस डिपो स्थापित किया जाएगा और शिमला (स्थानीय) डिपो को चरणबद्ध तरीके से ई–बस डिपो में बदला जाएगा।

22. **Green Hydrogen** आने वाले भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का स्त्रोत है जो पानी के Electrolysis से पर्यावरण को बिना किसी नुकसान तथा बिना प्रदूषण के बनती है। हिमाचल प्रदेश को अग्रणी Green Hydrogen अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में Green Hydrogen को बढ़ावा देगी। इसके लिए Green Hydrogen नीति बनाई जाएगी।

23. **Green Energy** के रूप में **Hydro Power** के दोहन में भी तेज़ी लाई जाएगी। 2023–24 में 1,000 मैगावाट क्षमता की पन–बिजली परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। पार्वती–।।, टिड्डौंग–।, शेल्टी–मसरंग तथा लंबाडग को पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व की रेणुकाजी बाँध परियोजना, चांजु–।।।, दयोथल चांजु, सुन्नी डैम व डुगर परियोजनाओं का निर्माण कार्य इसी वर्ष आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त साईकोठी–।, देवीकोठी, साईकोठी–।। तथा हेल परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

24. जल विद्युत दोहन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र खुली और आकर्षक नीति लाएगी।

25. विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत का **''हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डवैलपमेंट प्रोग्राम''** आरम्भ किया जाएगा। इसके अन्तर्गत 200 मैगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा

परियोजनाओं का निर्माण और 13 शहरों के लिए 11 सब–स्टेशन व 2 बड़ी विद्युत वितरण लाईनों का निर्माण करने का प्रावधान है। इसके लिए विश्व बैंक के साथ अन्तिम दौर की चर्चा पूरी करके शीघ्र ही MoU हस्ताक्षरित कर लिया जाएगा।

26. HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से 6 EHV सब–स्टेशन काला अंब, बरशैनी, कांगु, पलचान, धर्मपुर तथा हिलिंग, पाँच ट्रांसमिशन लाईनें व एक '**संयुक्त नियंत्रण केन्द्र**' के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाएगा।

27. ऊर्जा के क्रय–विक्रय के दक्ष प्रबन्धन हेतु एक **'Centralized Cell'** स्थापित किया जाएगा ताकि बिजली विक्रय से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके।

28. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना है जिसमें रोज़गार तथा लोगों की आय बढ़ाने की अपार सम्भावनाएं हैं। पर्यटन

मंडी हवाई अड्डे का निर्माण एवम् काँगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार आवश्यक भू–अधिग्रहण के अभाव में बहुत समय से लम्बित हैं। 15वें वित्तायोग द्वारा मंडी हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ रुपये तथा काँगड़ा हवाई अड्डे के लिए 400 करोड़ रुपये की अनुशंसा की गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में सत्ता पक्ष एवम् विपक्ष के नेताओं तथा सभी माननीय सांसदों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे भारत सरकार से इस राशि को शीघ्र जारी करवाने के लिए सहयोग करें। दोनों हवाई अड्डों के लिए शुरू की गई Social Impact Assessment (SIA) को जल्दी पूरा करके इनके लिए भू–अधिग्रहण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुरूप काँगड़ा हवाई अड्डे के

विस्तार कार्य में गति लाई जाएगी। काँगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लम्बाई को वर्तमान 1 हज़ार 372 मीटर से बढ़ाकर 3 हज़ार 10 मीटर करने के लिए आवश्यक भू–अधिग्रहण की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। भू–अधिग्रहण के तुरन्त बाद इसके विस्तार का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके लिए 2023–24 में 2,000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

29. रामपुर, बद्दी, कांगणीधार (मण्डी) और SASE (Snow and Avalanche Study Establishment), मनाली में हैलीपोर्टस विकसित किए जा रहे हैं। हैली–टैक्सी का संचालन संजौली और बद्दी हैलीपोर्ट से शीघ्र शुरु किया जाएगा। हमीरपुर, काँगड़ा, चम्बा, कुल्लू, लाहौल–स्पिति, किन्नौर एवम् ऊना में नए हैलीपोर्ट का निर्माण/ विकास किया जाएगा ताकि सभी ज़िले, वर्ष भर हवाई परिवहन से जुड़े रहें। हैलीपोर्टों के निर्माण और विकास पर 2023–24 में 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

30. वर्तमान में लोकप्रिय पर्यटक स्थलों को decongest करने के उद्देश्य से काँगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के **"Tourism Capital"** के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। काँगड़ा को एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप मे विकसित करने तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जाएगाः–

- एक international standard के **''गोल्फ़ कोर्स''** का निर्माण किया जाएगा।
- जिले में 24X7 **''पर्यटक ग्राम''** की स्थापना की जाएगी जिसमें स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तकला, संगीत इत्यादि को प्रसारित करते हुए स्थानीय युवाओं को रोज़गार अवसर प्रदान किए जाएंगे।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए Old Age Homes विकसित किए जाएंगे।

- आइस स्केटिंग एवम् रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण।

- पौंग डैम में वॉटर स्पोर्टस, शिकारा, क्रूज़, यॉट इत्यादि की व्यवस्था।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक भूमि का प्रावधान किया जाएगा।

31. इसके अतिरिक्त, मैं काँगड़ा जिला के बनखण्डी में 300 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस चिड़ियाघर का निर्माण 180 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में इस चिड़ियाघर के निर्माण के लिए 2023–24 में, मैं 60 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान का प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूँ कि इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है तथा शीघ्र ही प्राक्कलन तैयार कर लिया जाएगा।

32. ADB (Asian Development Bank) की सहायता से 1 हज़ार 311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके अन्तर्गत काँगड़ा जिला में 390 करोड़ रुपये, हमीरपुर जिला में 257 करोड़ रुपये, कुल्लू जिला में 229 करोड़ रुपये, शिमला जिला में 123 करोड़ रुपये एवम् मंडी जिला में 138 करोड़ रुपये तथा अन्य स्थानों पर 174 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं, electric buses, water sports, theme parks, way side amenities, high end food courts उपलब्ध करवाने, heritage sites के सौन्दर्यकरण तथा eco tourism के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें मंडी स्थित शिव धाम का विकास, ग्रीष्म एवम्

शीतकालीन खेलों को वर्ष भर सुचारू रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से शिमला आईस स्केटिंग रिंक का उन्नयन, मनाली में आइस स्केटिंग एवम् रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण इत्यादि सम्मिलित हैं।

33. अध्यक्ष महोदय, पर्यटन के विकास के साथ हमारी सरकार की यह भी प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक स्थानीय युवा इस क्षेत्र से जुडें और रोज़गार प्राप्त करें। इस उद्देश्य से 'हिमाचल प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत वाकनाघाट में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में **''उत्कृष्ट केन्द्र''** की स्थापना की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 68 करोड़ रुपये है। 2023 के अन्त तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रों में ऐसी skilling कक्षाएं प्रारम्भ करने की मैं घोषणा करता हूँ जिनकी माँग वर्तमान में सर्वाधिक है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा

34. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मैडिकल कॉलेजों को world class medical technology से लैस करने का लक्ष्य है। इस क्रम में, IGMC (शिमला), चमियाणा (शिमला), टाण्डा–काँगड़ा, हमीरपुर, नाहन, चम्बा एवम् नेरचौक स्थित मैडिकल कॉलेजों में– Urology, General Surgery, Gynaecology, Cardiothoracic Surgery and Gastro Surgery विभागों में चरणबद्ध तरीके से Robotic Surgery की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पर वर्ष 2023–24 में लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

35. आगामी वित्तीय वर्ष में राजकीय मैडिकल कॉलेजों हमीरपुर, नाहन एवम् चम्बा के निर्माणाधीन भवनों का कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश की जनता को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

36. अध्यक्ष महोदय, प्रायः देखा गया है कि प्रदेश के मैडिकल कॉलेजों के casualty विभाग में एक बिस्तर पर एक से अधिक मरीज़ पाए जाते हैं। इस कारण मरीज़ो को अन्य बीमारियाँ होने की पूरी सम्भावना रहती है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए मैं प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में casualty विभाग को upgrade करके Emergency Medicine Department बनाने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता के Critical Care Blocks (CCBs) का निर्माण किया जाएगा। इस सेवा को 24X7 उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उपयुक्त विशेषज्ञ, मैडिकल अधिकारी, स्टाफ नर्स एवम् अन्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मरीज़ों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आस–पास के स्वास्थ्य संस्थानों से समन्वय किया जाएगा।

37. प्रत्येक विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को **''आदर्श स्वास्थ्य संस्थान''** के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य स्टाफ़ सहित 134 तरह की लैबोरेटरी जाँच सुविधाएं तथा आवश्यकतानुसार Latest State of the Art Technology की MRI, CT Scan, Ultrasound और digital X-Ray सुविधाएं उपलब्ध करवाईं जाएंगी। इन सुविधाओं के चलते स्थानीय निवासियों की जिला अस्पताल अथवा मैडिकल कॉलेजों पर निर्भरता कम हो जाएगी।

38. डॉ राधाकृष्णन मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर के साथ कैंसर केयर के लिए एक **'Centre of Excellence'** स्थापित किया जाएगा। मैं हमीरपुर मैडिकल कॉलेज में Nuclear Medicine Department की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। 2023–24 में इसके लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

39. मैं घोषणा करता हूँ कि नाहन, चम्बा एवम् हमीरपुर स्थित medical colleges में नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किए जाएंगे।

40. मैं प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में PET Scan स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं।

41. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक दवाईयाँ तथा आधुनिकतम मशीनरी एवं उपकरण की खरीद और उचित मूल्य व समय पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मैं **'Himachal Pradesh Medical Services Corporation'** की स्थापना की घोषणा करता हूँ।

42. अध्यक्ष महोदय, टाईप–। शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन इंसुलिन इंजैक्शन लगवाना पड़ता है, जिससे उन्हें किडनी तथा अन्य अंगों के गंभीर संक्रमण का खतरा बना रहता है। मैं घोषणा करता हूँ कि इन गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सरकार द्वारा इंसुलिन पम्प उपलब्ध करवाए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3 हज़ार 139 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

गुणात्मक शिक्षा

43. अध्यक्ष महोदय, हाल में आए विभिन्न सर्वे दर्शाते हैं कि कोविड के दौरान विद्यार्थियों की सीखने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता में गिरावट आई है। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है और इस स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएगी।

44. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को लागू करते समय quantitative के साथ–साथ qualitative improvement पर ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों के learning outcome में बढ़ौतरी हो सके। शैक्षणिक

संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।

45. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मानना है कि और नए स्कूल खोलने या स्कूल अपग्रेड करने के स्थान पर चल रहे स्कूलों में अध्यापकों, पुस्तकालय, लैब सुविधा एवम् अच्छे भवनों व खेल मैदानों की सुविधाएं दी जाएं। वर्ष 2021–22 में प्रदेश में 3 हज़ार 148 स्कूलों में केवल सिंगल अध्यापक उपलब्ध था, जोकि कुल स्कूलों का 30 प्रतिशत् था। हाल ही में, हमने पाया कि कई संस्थान ऐसे खोले गए थे, जहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम थी जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाना सम्भव नहीं था। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा।

46. कांग्रेस पार्टी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में **''राजीव गांधी गवरनमेंट मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल''** (Rajiv Gandhi Government Model Day-Boarding School) खोलने की घोषणा करता हूँ। इनमें प्री–प्राईमरी से बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा के साथ सभी प्रकार की इन्डोर एवम् आउटडोर खेल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहाँ पानी की समुचित उपलब्धता होगी वहाँ स्वीमिंग पूल का भी प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हमारी सरकार चरणबद्ध योजना के तहत 300 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

47. प्रदेश के युवाओं को विभिन्न competitive exams की तैयारी हेतु सुविधा देने के लिए मैं प्रदेश के ऐसे ब्लॉक में जहाँ पुस्तकालय/वाचनालय उपलब्ध नहीं हैं, में नेशनल डिज़िटल लाइब्रेरी की access तथा आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालय का निर्माण करने की घोषणा करता हूँ।

48. युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोज़गार मेलों तथा स्पैशल placement drive का आयोजन किया जाएगा।

49. हमारी सरकार स्कूलों में vocational शिक्षा का विस्तार करेगी। शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी तथा रोज़गार आधारित नवीनतम कोर्स शुरू किए जाएंगे।

50. शिक्षा में Information and Communication Technology (ICT) के उपयोग और गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्न प्रस्तावित हैः–

- प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में library room स्थापित किया जाएगा।
- 10 हज़ार मेधावी छात्रों के लिए Tablets दिए जाएंगे।
- 762 स्कूलों में ''**ICT योजना**'' के अन्तर्गत आवश्यक hardware तथा software प्रदान किया जाएगा।
- 17 हज़ार 510 प्राईमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए Tablets दिए जाएंगे।
- सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस वर्ष 40 हज़ार डैस्क दिए जाएंगे।

51. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं स्पोर्टस हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा करता हूँ।

शिक्षा क्षेत्र में कुल 8 हज़ार 828 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

52. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल को उन क्षेत्रों में उन्नत किया जाए जिन क्षेत्रों में अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं। हमारी सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा में quality और पाठ्यक्रम को employment oriented बनाने हेतु 2023–24 से निम्न नए Value Added Courses शुरु किए जाएंगेः–

- ❖ विभिन्न सरकारी संस्थानों में Robotics, Block-Chain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence और Machine learning के कोर्स.
- ❖ हाईड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर में B-Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) कोर्स।
- ❖ 13 ITIs, घुमारवीं, गरनोटा, नादौन, सुन्नी, शाहपुर, पालमपुर, शमशी, नाहन, जुब्बल, ऊना, पंडोगा, सुन्दरनगर (निशक्त व्यक्तियों) एवम् नालागढ़ में Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Mechanic, Solar Technician, Drone Technician, Mechatronics तथा Internet of Things (IoTs) Technicians के कोर्स.

53. प्रदेश के 11 ITIs, चम्बा, सलियाणा, शिमला, शमशी, मण्डी (महिला), नाहन (महिला), सोलन, नालागढ़, राजगढ़, रैल और घुमारवीं में कौशल विकास निगम के माध्यम से Drone Service Technician Course चरणबद्ध तरीके से शुरु किया जाएगा।

54. विश्व बैंक की STRIVE परियोजना में 12 ITIs, अर्की, बगस्याड़, बरठीं, भोरंज, बिलासपुर (महिला), दीगल, मण्डी (महिला), नेहरनपुखर, नूरपुर, सलियाणा, शिमला तथा ऊना में सुविधाओं और Infrastructure को उन्नत किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत 5 अन्य ITIs, पपलोग, सुन्नी, धर्मशाला, बड़ोह एवम् सुजानपुर में 'ऑन ग्रिड सौर ऊर्जा संयन्त्र' की स्थापना की जाएगी। इन कार्यों पर 20 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

55. 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलीटेक्निकों में **''MERITE (Multi-Disciplinary Education and Research Improvement in Technical Education) योजना''** को आगामी पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके तहत चयनित इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलीटेक्निक अगले 5 वर्षों में क्रमशः 10 करोड़ व 5 करोड़ रुपये प्राप्त करने के पात्र होंगे।

56. कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन क्षेत्र में 500, Electric Vehicles में 500, एवम् सौर ऊर्जा क्षेत्र में 500 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5,000 स्नातक छात्रों को EEE (English, Employment and Entrepreneurship) का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे प्रदेश के युवा अंग्रेजी भाषा तथा रोज़गार कौशल में दक्ष होंगे तथा आकर्षक रोज़गार प्राप्त कर सकेंगे।

57. श्रम एवम् रोज़गार विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग तथा HPKVN के सहयोग से बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार राज्य भर में विभिन्न प्रशिक्षित/प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए हर महीने रोज़गार मेले आयोजित करेंगे।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 361 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन

58. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की गारंटियों में से एक के अन्तर्गत महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने का वायदा किया गया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2 लाख 31 हज़ार महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा करता हूँ, जो अभी 1,000 व 1,150 रुपये की दर से पैंशन ले रही हैं, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी।

59. मैं सभी विधवाओं एवम् दिव्यांगजन (दिव्यांगता 40–69 प्रतिशत्) को पैंशन पाने के लिए आय सीमा को खत्म करने की घोषणा करता हूँ। इनके लिए ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट देने की भी मैं घोषणा करता हूँ। इससे दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा और दिव्यांगजन ''**राहत भत्ता योजना**'' के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करेगी। आगामी वर्ष में, मैं 40 हज़ार नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन देने की घोषणा करता हूँ।

सुखाश्रय योजना/ महिला एवं बाल विकास एवं कमज़ोर वर्गों का कल्याण

60. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देख–भाल की आवश्यकता वाले बच्चों (अनाथ, अर्ध–अनाथ और विशेष रूप से सक्षम) के लिए एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख–आश्रय योजना''** लेकर आई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे/व्यक्ति 'Children of State' कहलाएंगे तथा राज्य सरकार ही इनके लिये **'सरकार ही माता – सरकार ही पिता'** का दायित्व निभाएगी।

- इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान से **'मुख्य मन्त्री सुख–आश्रय कोष'** की स्थापना की गई है।
- बच्चों, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा अथवा निर्मित किया जाएगा।

- सुन्दरनगर एवम् ज्वालामुखी में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और बेसहारा महिलाओं को रहने/ आश्रय देने के लिए 400 की क्षमता वाले आधुनिक सुविधाओं सहित एकीकृत **'आदर्श ग्राम सुख–आश्रय परिसर'** का निर्माण किया जाएगा।

- अनाथ बच्चों के लिए चलाए जा रहे सरकारी गृहों में बेहतर फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर, भोजन, अतिरिक्त हाऊस मदर्ज़, गुणवत्ता शिक्षा, कैरियर परामर्श आदि सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा।

- इसके अतिरिक्त अनाथ बच्चों को वर्ष में एक बार राज्य के बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी ले जाया जाएगा। इसमें हवाई यात्रा तथा वहाँ 3 Star Hotel में उनके रहने की व्यवस्था भी की जाएगी।

- 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि Children of State के कल्याण एवम् उत्थान के लिए 'सुख–आश्रय कोष' में बढ़–चढ़ कर योगदान करें।

61. विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने में सहायता के लिए मैं एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। 2023–24 में 7,000 ऐसी महिलाओं को घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अन्तर्गत निर्मित घरों में बिजली, पानी सहित समुचित सुविधायें भी प्रदान की जाएंगी।

62. मैं प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पढ़ रहीं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की 20 हज़ार मेधावी छात्राओं को **'Electric Scooty'** खरीदने के लिए अधिकतम 25 हज़ार रुपये तक का उपदान देने की घोषणा करता हूँ। इससे न केवल प्रदेश को **'Green State'** बनाने में सहायता मिलेगी बल्कि लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा।

63. प्रदेश के गरीब परिवारों के बच्चों, जो आवश्यक संसाधनों के अभाव में व्यवसायिक और तकनीकी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको इन कोर्सों के लिए हमारी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए मैं 200 करोड़ रुपये की **''मुख्य मन्त्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना''** शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को Engineering, Medicine, MBA, PhD, courses from ITI/ Polytechnic, B.Pharmacy, Nursing इत्यादि professional courses के लिए वित्तीय संस्थानों की सहायता से 1 प्रतिशत् ब्याज़ दर पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि पैसों के अभाव में कोई भी मेधावी गरीब बच्चा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।

64. मैं **"मुख्य मन्त्री सुरक्षित बचपन अभियान"** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए अभियान मोड पर एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इस अभियान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) के प्रावधानों के बारे में प्रदेशवासियों, विशेषकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा।

65. मैं प्रदेश में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने व बच्चों और युवाओं में इनके दुष्प्रभाव के बारे में जागरुकता लाने के लिए **''नशा एवम् मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवम् अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2 हज़ार 233 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

कृषि/value addition/ पशुपालन एवं गौ–संरक्षण

66. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और सहयोगी क्षेत्रों की अहम भूमिका है तथा इस पर प्रदेश के 70 प्रतिशत् कामगार निर्भर हैं। प्रदेश में कृषि और पशु पालन कठिन व्यवसाय बनते जा रहे हैं और इस परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता है। वर्षों से विभिन्न योजनाओं के द्वारा नगदी फ़सलों, सब्जी उत्पादन, बे–मौसमी फ़सलों को बहुत सी छोटी–छोटी योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाता रहा है परन्तु अभी तक किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, मैं क्षेत्र आधारित एकीकृत एवम् समग्र कृषि विकास योजना "**हिम उन्नति**" को शुरू करने की घोषणा करता हूँ। यह योजना क्लस्टर अप्रोच के आधार पर चलाई जाएगी जिसमें प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे।

67. इस नई योजना के अन्तर्गत प्रत्येक क्लस्टर में स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों जैसे मृदा के प्रकार इत्यादि के आधार पर कम से कम 40 बीघा भूमि शामिल की जाएगी। लाभार्थी परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण आधारित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कृषि और पशु पालन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा तथा इस कार्ययोजना से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध उत्पादन, दालों, मोटे अनाजों, सब्जियों, फलों, फूलों, नगदी फसलों के क्लस्टर और प्राकृतिक कृषि के अलग क्लस्टर बनाए जाएंगे। JICA चरण दो के सभी सब–प्रोजेक्ट भी **"हिम उन्नति"** से जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में वर्ष 2023–24 में **''हिम उन्नति''** के लिए 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे।

68. अध्यक्ष महोदय, **'मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना'** के अन्तर्गत जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किसानों को जालीदार बाड़ लगाने के लिए भी उपदान दिया जाएगा।

69. अध्यक्ष महोदय, **'Sub-Mission on Agriculture Mechanization'** के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत् उपदान दिया जाएगा।

70. अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में start-ups को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसानों, FPOs (Farmer Producer Organizations) तथा FIGs (Farmer Interest Groups) को वित्तीय संस्थानों/बैंकों के माध्यम से 2 प्रतिशत् की दर से ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

71. प्रदेश में दूध आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मैं **"हिम–गंगा"** नाम से महत्वाकाँक्षी योजना आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के तहत पशुपालकों को दूध की true cost based कीमत दिलायी जाएगी और दूध procurement, processing और marketing की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध उत्पादकों को दूध की कीमतों में क्षेत्रीय और मौसमी उतार–चढ़ाव से बचाया जाए और विशेष रूप से गरीब वर्ग के दूध उत्पादकों को दूध की उचित कीमत दिलाई जाए। **''हिम गंगा''** योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में, यह योजना प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के किसानों/पशुपालकों को जोड़ कर पायलट आधार पर शुरू की जाएगी। इसके परिणामों के आधार पर इसका विस्तार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा।

72. प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं का

गठन किया जाएगा। इन सहकारी सभाओं के माध्यम से दूध व उत्पादों का प्रभावी तरीके से विपणन सुनिश्चित किया जाएगा।

73. **''हिम–गंगा''** योजना को सफल बनाने के लिए प्रदेश में नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे तथा वर्तमान में स्थापित प्लांट upgrade किए जाएंगे। सभी आवश्यक infrastructure and supply chain को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।

74. चिन्हित पशु अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी क्रम में, 2023–24 में प्रदेश में 44 मोबाइल vans के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा आरम्भ की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा

75. कांग्रेस सरकार द्वारा 2007 में शुरु की गई दालों व खाद्यान्न तेल पर दी जा रही अनुदान राशि पर हमारी सरकार आगामी वर्ष में 265 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

76. नागरिक आपूर्ति निगम आगामी सीज़न में गेहूं की खरीद करेगा। गेहूं खरीद का लक्ष्य 30 हज़ार मीट्रिक टन रखा गया है।

बागवानी

77. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में बागवानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जागरूक और प्रतिबद्ध है। इसके लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी।

78. हमारी सरकार 1 हज़ार 292 करोड़ रुपये की लागत से आगामी पाँच वर्षों में **"हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना"** के अन्तर्गत 7 जिलों (बिलासपुर, हमीरपुर, काँगड़ा, मण्डी, सिरमौर, सोलन, एवम् ऊना) के 28 विकास खण्डों में 6 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्रफल में दो चरणों में बागवानी का विकास करेगी। इसके अन्तर्गत 15 हज़ार से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अन्तर्गत किसानों की निजी भूमि पर **'एक फसल एक क्लस्टर'** एप्रोच में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, पीकन नट, परसीमोन, आम,

आदि फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना में एक करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत Value Chain Infrastructure विकसित करके Post Harvest Losses को कम किया जाएगा।

79. बागवानों के उत्पाद की HPMC द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से HPMC के CA stores की बुकिंग के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। बागवान घर बैठे HPMC को बेचे जाने वाले उत्पाद का प्रबन्धन कर सकेंगे। व्यवस्था के अन्तर्गत बागवान, HPMC द्वारा बेचे जाने वाले उपकरणों एवम् अन्य सामग्री की बुकिंग भी करवा सकेंगे।

80. राज्य के किसान/बागवानों के फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु फल क्लस्टर/हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें High Density Plantation and Micro Irrigation System इत्यादि के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी, एवोकाडो आदि नई फसलों की शुरूआत की जाएगी।

81. उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाओं में दक्षता लाने के लिए इनका विलय कर इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

82. FPOs के सहयोग से ग्रेडिंग/पैकिंग हाऊस, सी0ए0 व कोल्ड स्टोर, भावानगर (किन्नौर), संदासु (चिड़गाँव), अणु (जुब्बल), चौपाल (शिमला), जाबली (सोलन), सुन्दरनगर (मण्डी), दत्तनगर (रामपुर बुशैहर) व खड़ापत्थर (शिमला) में स्थापित किए जाएंगे।

83. 60 FPOs का गठन किया जाएगा जिससे बागवानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाएगा।

मत्स्य पालन

84. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं जिनके दोहन से आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके लिए fish farming को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में Backyard Fish Farming, Cage Culture, Re-circulatory Aquaculture System (RAS) तथा अन्य नईं तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

85. निजि क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नए मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु 80 प्रतिशत् उपदान देने की घोषणा करता हूँ।

86. मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए 120 नई ट्राउट इकाईयों का निर्माण किया जाएगा।

87. 5 लघु बायोफ्लॉक मत्स्य पालन इकाईयां, 2 ट्राउट हैचरीज़, 3 मछली फीड मिलें और 1 बर्फ संयन्त्र भी स्थापित किए जायेगें।

88. प्रदेश में मछली पालन से जुड़े किसानों एवम् अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा के लिए Carp Farm गगरेट, ऊना में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 600 मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

89. राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नदीय मछलियों पर आश्रित मछुआरों को 1,000 फैंकवा जाल (Cast Net) उपदान पर आबंटित किए जाएंगे।

90. प्रदेश में लगभग 12 हज़ार परिवार विभिन्न जलाशयों, नदियों एवम् तालाबों इत्यादि से मछली पकड़ने व पालने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में, युवा

वर्ग के लिए स्वरोज़गार उत्पन्न करने की बहुत सम्भावनाएं हैं। 2023–24 में 500 युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

91. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घर बनाए जाएंगे। इसके लिए 2023–24 में 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे।

92. हमारी सरकार ग्राम पंचायत के सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में 210 पंचायत सचिवों व तकनीकी सहायकों के 164 पद एक fixed amount पर भरे जाएंगे।

93. अध्यक्ष महोदय, 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा)' कांग्रेस की केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोज़गार देने के लिए सफल और लोकप्रिय योजना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने इसकी खूब निंदा की थी। कोविड महामारी में इसी योजना के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। मैं प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वर्तमान में मिल रही मनरेगा दिहाड़ी को 212 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में मिलने वाली दिहाड़ी को 266 रुपये से बढ़ाकर 294 रुपये किया जाएगा। इससे लगभग 9 लाख मनरेगा मज़दूरों, जिनमें लगभग 65 प्रतिशत महिलाएं हैं, को बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर होने वाला लगभग 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

94. 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)' के तहत विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के निरीक्षण के लिए एक सहायक की

सेवाएं ली जाएंगी। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और लगभग 25 से 30 हज़ार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

95. सभी विभागों की योजनाओं में समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि मनरेगा और अन्य योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुँचे।

96. प्रदेश के 26 विकास खण्डों में 132 Custom Hiring Centre बनाए जाएंगे। इन केन्द्रों को स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा और इनके द्वारा खेती के उपकरणों को किराए पर दिया जाएगा।

97. प्रदेश में 50 'हिम–ईरा' आदर्श दुकानें स्थापित की जाएंगी। ये दुकानें प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करेंगी। प्रदेश में इन समूहों की सुविधा के लिए आजीविका भवनों का प्रावधान किया जाएगा।

98. मैं छोटे दुकानदारों/व्यापारियों को 50 हज़ार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज़ का 50 प्रतिशत् उपदान देने के लिए एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। पात्र लाभार्थियों में दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी–फड़ी वाले, किरयाना इत्यादि सम्मिलित होंगे। वित्तीय संस्थानों की सहायता से चलने वाली इस योजना के अन्तर्गत लगभग 75 हज़ार दुकानदारों को इसका लाभ मिलेगा।

99. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण गौशालाओं की आय बढ़ाने के लिए पायलट आधार पर, सभी जिलों में 4 गोबर्धन संयन्त्र संचालित किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक ब्लॉक में **"Plastic Waste Management Unit (PWMU)"** की स्थापना की जाएगी। हर जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और CSR फण्ड का उपयोग करके 1 ग्राम पंचायत को मॉडल

ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा और इस मॉडल को अन्य ग्राम पंचायतों में दोहराया जाएगा।

100. हिमाचल प्रदेश में कुल 1,800 अमृत सरोवर प्रस्तावित हैं, जिनमें से लगभग 760 का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष बचे अमृत सरोवर 15 अगस्त, 2023 तक तैयार कर लिए जाएंगे।

101. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूँः–

- ❖ अध्यक्ष, जिला परिषद को 5,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- ❖ उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 5,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- ❖ सदस्य, जिला परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- ❖ अध्यक्ष, पंचायत समिति को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- ❖ उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- ❖ सदस्य, पंचायत समिति को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- ❖ प्रधान, ग्राम पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- ❖ उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- ❖ सदस्य, ग्राम पंचायत को 200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 500 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज के लिए कुल 1 हज़ार 916 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

शहरी विकास

102. अध्यक्ष महोदय, विभिन्न यूटिलिटी लाइनों जैसे बिजली की तारें, दूरसंचार तारें, OFC इत्यादि को एक कॉमन यूटिलिटी डक्ट में बिछाने के लिए नीति बनाई जाएगी। इस नीति के तहत सेवा दाताओं को इन तारों को बिछाने और उनके रख–रखाव के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी जिससे बार–बार सड़क की खुदाई करने की आवश्यकता से निज़ात मिलेगी। पायलट आधार पर शिमला शहर में इस duct का निर्माण किया जाएगा जिस पर प्रथम चरण में 25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

103. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः–

- महापौर, नगर निगम को 5,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उप–महापौर, नगर निगम को 5,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- काउंसलर, नगर निगम को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- अध्यक्ष, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- पार्षद, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- प्रधान, नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उप–प्रधान, नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, नगर पंचायत को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

104. शहरों में sanitary waste की विकराल समस्या पैदा हो रही है। शहरी स्थानीय निकायों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से सैनिटरी इनसिनरेटर (Sanitary Incinerator) स्थापित किए जाएंगे।

105. शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की विकराल समस्या को देखते हुए शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 1,000 ECS (Equivalent Car Space) पार्किंग क्षमता के स्थल विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बड़े पार्किंग स्थलों का निर्माण PPP Mode में किया जाएगा।

106. शहरी निकायों में ऑनलाईन सम्पति कर भुगतान प्रणाली शुरु की जाएगी।

आवासीय सुविधा

107. अध्यक्ष महोदय, जाठिया देवी, शिमला में भारत सरकार के सहयोग से हिमुडा द्वारा नया शहर स्थापित करने का कार्य शुरु किया जाएगा। इसके लिए 1 हज़ार 373 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India को प्रेषित की गई है।

आयुष

108. अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023–24 में 250 'आयुष वैलनेस केन्द्र' संचालित किए जाएंगे जिनमें विभिन्न प्रकार के उपचार Packages के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा, और वन विभागों के साथ मिलकर 500 नई हर्बल वाटिकाएं भी स्थापित की जाएंगी।

109. 'राष्ट्रीय आयुष मिशन' में औषधीय पौधों के क्लस्टर बनाकर इनकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

जल शक्ति

110. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से भू–जल स्त्रोतों तथा अन्य जल स्त्रोतों के revival की अपार सम्भावनाएं हैं। खड्डों पर छोटे–छोटे चैकडैम बनाकर न केवल पानी को रोका जा सकता है बल्कि इकट्ठे किए गए पानी के रिसाव से भू–जल के स्तर में वृद्धि भी की जा सकती है। प्राकृतिक रूप से विद्यमान विशाल गड्ढों को भी जल संग्रहण ताल के रूप में विकसित किया जा सकता है। हमारी सरकार प्रदेश की विभिन्न खड्डों तथा चिन्हित प्राकृतिक गड्ढों में जल संग्रहण के माध्यम से भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी।

111. सभी पेयजल एवम् सिंचाई परियोजनाओं के जल स्त्रोतों को लम्बे समय तक बनाए रखने के लिए हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में जिन भी योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जाए उनमें source sustainability के लिए कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत् प्रावधान किया जाए।

112. हमारी सरकार जल संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए 'Water Regulation and Management Bill' लाने की दिशा में समुचित पग उठाएगी। पेयजल योजनाओं का सेवा स्तर सुधारने के लिए चरणबद्ध ढंग से 24×7 जल आपूर्ति उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाएगा। प्रथम चरण में, पायलट आधार पर नदी/डैम के साथ लगतीं कुछ नगर पंचायतों/नगर परिषदों में पेयजल योजनाओं को 24×7 जल आपूर्ति योजनाओं में upgrade किया जाएगा।

113. अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्मल पीने का पानी उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जहाँ पर Percolation well/spring based पेयजल योजनाओं में contamination की सम्भावना है, वहाँ पर filter unit स्थापित किए जाएंगे। नवीनतम तकनीक जैसे कि UV/ultra filtration/ozonisation इत्यादि को आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जाएगा। जल उपचार में bleaching powder के स्थान पर Gaseous Chlorination System व Sodium Hypo Chlorite System का यथासंभव उपयोग किया जाएगा। इसके लिए 2023–24 में 25 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे।

114. प्रदेश के पाँच शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मनाली व पालमपुर में पेयजल आपूर्ति का सुधार भी किया जाएगा। फ्रांस के Development Bank - AFD *(Agence Française de Development)* के माध्यम से इस परियोजना पर लगभग 817 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

115. जल परीक्षण हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC) से प्रशिक्षित महिलाओं को कम से

कम 50 जल नमूनों के परीक्षण व परिणाम अपलोड करने के लिए 3,300 रुपये प्रति ग्राम पंचायत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।

116. विभिन्न टैन्डर कार्यों में Arbitration विवाद के कारण न केवल कार्यों को पूरा करने में देरी होती है बल्कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष में अनुबन्ध धाराओं से Arbitration Clause को पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा।

117. मैं जल शक्ति विभाग में पेयजल, सिंचाई तथा सीवरेज स्कीमों के रख–रखाव एवम् परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5,000 पद भरने की घोषणा करता हूँ।

सड़कें एवम् पुल

118. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 2023–24 में राज्य की सड़कों की लम्बाई को बढ़ाकर 41 हज़ार किलोमीटर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है।

119. 2023–24 में 'प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-I व II' के अन्तर्गत निम्न कार्य सम्पन्न किए जाएंगेः–

- ✓ 150 किलोमीटर नई क्नेक्टिविटी।
- ✓ 650 किलोमीटर उन्नयन कार्य।
- ✓ 200 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज़।
- ✓ 9 पुलों का निर्माण।
- ✓ 20 बस्तियों को सड़कों से जोड़ना।

120. सरकार द्वारा PMGSY–III के अन्तर्गत सभी ब्लॉकों के GIS सर्वेक्षण के बाद 422 करोड़ रुपये की लागत से 440 किलोमीटर लम्बी 45 सड़कों के प्रस्तावों पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई

है। 2 हज़ार 685 किलोमीटर लम्बी सड़कों के लिए फेज़ वाईज़ डी0पी0आर0 भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। 2023–24 में, PMGSY–III के अन्तर्गत 300 किलोमीटर सड़कों को उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है।

121. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 178 किलोमीटर लम्बाई के निम्न पाँच राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को दो लेन से चार लेन upgrade करने के लिए 4 हज़ार 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज रही हैः–

- 899 करोड़ रुपये की लागत से बिड्डू से लठयाणी।
- 600 करोड़ रुपये की लागत से नालागढ़ से स्वारघाट।
- 1,200 करोड़ रुपये की लागत से काला अम्ब से पाँवटा साहिब से देहरादून।
- 1,500 करोड़ रुपये की लागत से अम्ब से ऊना और पंजाब बॉर्डर से नादौन।
- 500 करोड़ रुपये की लागत से ऊना बाईपास।

122. आगामी वर्ष में नाबार्ड (RIDF) के अन्तर्गत 205 किलोमीटर नई सड़कों, 305 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज़, 425 किलोमीटर पक्की सड़कों और 27 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है।

123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) से वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को 500 करोड़ रुपये की 5 सड़कें/पुल परियोजनाएं भेजी गई हैं। मेरी सरकार इन सभी योजनाओं को स्वीकृत करवाने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहेगी।

124. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की सड़कों पर होने वाले हादसों में कमी लाने के लिए, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैंः–

- 5 double lane सड़कों पर 474 करोड़ रुपये की लागत से 77 किलोमीटर सड़कों पर कार्य।

- पायलट आधार पर 50 करोड़ रुपये की लागत से काँगड़ा जिला (शिला चौक से पालमपुर एवम् दो link roads) में 43 किलोमीटर स्ट्रेच को Safe Corridor Demonstration Project (SCDP) के अन्तर्गत safe corridor का विकास।

- पायलट की सफलता के आधार पर राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों (MDR) के लिए Safe Corridor Demonstration Programme का कार्यान्वयन।

125. इस प्रकार 2023–24 में निम्न लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगेः–

- ✓ 1 हज़ार 60 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण।
- ✓ 1 हज़ार 505 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मैटलिंग व टारिंग।
- ✓ 990 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज़ एवम् जल निकासी से सम्बन्धित कार्य।
- ✓ 70 नए पुलों का निर्माण।
- ✓ 70 गाँवों की क्नेक्टिविटी।

126. प्रदेश में उत्कृष्ट गुणवत्ता की सड़कें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सड़क एवम् रख–रखाव योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत 2023–24 में 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

उद्योग/निजी निवेश

127. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्ट अप सहायता प्रदान करने हेतु कांग्रेस सरकार द्वारा गारंटी दी गई है। मैं एक नई **''राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ–साथ Dental Clinics में मशीनरी एवम् औज़ार, मत्स्य इकाईयों, e-taxi तथा 1 मैगावाट तक के सोलर पावर प्रोजैक्टस को भी सम्मिलित किया जाएगा। मैं e-taxi पर मिलने वाले उपदान को सभी वर्गों के लिए समान रूप से 50 प्रतिशत् करने की घोषणा करता हूँ।

128. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश स्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 की समीक्षा करना समय की ज़रूरत है। इसलिए हमारी सरकार शीघ्र नई **"औद्योगिक निवेश नीति"** लाएगी। इसके अन्तर्गत सरकार **ओपन आर्म पॉलिसी** का अनुसरण करेगी और मौजूदा single window system को **"Bureau of Investment Promotion"** में परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए विधान सभा में विधेयक पेश किया जाएगा। यह Bureau समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए **single roof** होगा जिससे निवेशकों को सम्बन्धित कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह Bureau निवेशकों को Plug-and-Play की सुविधा प्रदान करेगा। यह Bureau राज्य में रोज़गार सृजन में मददगार होगा तथा हिमाचल प्रदेश को एक 'आदर्श निवेश मित्र राज्य' के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

129. 2023–24 में विनिर्माण (manufacturing), पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, आवास इत्यादि क्षेत्र में लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने के प्रयास किए जाएंगे जिससे लगभग 40 हज़ार प्रत्यक्ष और 50 हज़ार अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

130. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार जहाँ वैज्ञानिक खनन द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयासरत है वहीं अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए भी गम्भीर है। रॉयल्टी की चोरी रोकने हेतु एवम् W/X फार्म के सरलीकरण के लिए इसे एम0–परिवहन पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा तथा अन्य सम्बन्धित विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि भी इस पोर्टल से जुड़ेंगे। इससे अवैध खनन के साथ–साथ राजस्व हानि की भी रोकथाम होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए **'Flying Squad'** का गठन किया जाएगा।

131. प्रदेश में स्थापित उद्यमों में लगभग 99 प्रतिशत् उद्योग सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी में आते हैं। पहले, भारत सरकार इन उद्यमों का सर्वेक्षण व विश्लेषण करवाती थी। इस प्रकार का सर्वेक्षण पिछले एक दशक से नहीं किया गया है। उद्योग विभाग इन उद्यमों का विस्तृत सर्वेक्षण करवाएगा, ताकि इन उद्योगों की समस्याओं की पहचान कर उनका उचित निवारण शीघ्र किया जा सके।

132. 'एक जिला एक उत्पाद' को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में **"Unity Mall"** का निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के GI उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद एवम् अन्य राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाया जाएगा।

परिवहन

133. युवाओं को रोज़गार देने के उद्देश्य से 2023–24 में 500 चिन्हित बस रूटों पर ई–वाहन चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे।

134. बस अड्डा निर्माण एवम् प्रबन्धन प्राधिकरण ने वर्ष 2023–24 में 12 बस अड्डों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें ठियोग, भंजराड़ू, बरछवाड़, हरिपुर–देहरा, थुनाग, जंजैहली, बैजनाथ, कुमारसैन, लक्कड़ बाज़ार–शिमला, दाड़लाघाट, ढली–शिमला एवम् कार पार्किंग बंजार का निर्माण कार्य शामिल है। बस अड्डा प्राधिकरण 5 नए बस अड्डों बंगाणा, नादौन, पतलीकूहल, डलहौजी एवम् रिवालसर पर निर्माण कार्य करेगा।

135. हमीरपुर में Bus Port बनाया जाएगा जिसके लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

136. 2 नए बस अड्डों जसूर, बिलासपुर एवम् कार पार्किंग व वाणिज्यिक परिसर पुराना बस अड्डा, ऊना के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

137. हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GIS based **"व्हीकल लोकेशन ऐप"** तैयार की जाएगी। परिवहन निगम की बसों में 'डिजिटल फेयर कलेक्शन सिस्टम' लागू किया जाएगा।

वन

138. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की वर्तमान सरकार बनते ही मैंने स्वयं सभी forest clearances cases की मॉनिटरिंग आरम्भ की है। बहुत से विभागों में अधिकारियों को इससे सम्बन्धित जानकारी नहीं होती। वन विभाग द्वारा इन्हें उचित प्रशिक्षण एवम् सहायता प्रदान की जाएगी। सभी cases में तेज़ी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। यह समितियां समय–समय पर अपने जिले के सम्बन्धित

अधिकारियों के साथ forest clearances cases की समीक्षा करेंगी जिससे इन cases के अनुमोदन में तीव्रता आएगी।

139. प्रदेश में खाली पड़ी पहाड़ियों के बड़े भू–भाग पर पौधरोपण किया जाएगा ताकि एक छोर से पौधरोपण प्रारम्भ करके पूरी पहाड़ी को Green Cover प्रदान किया जा सके। इसके लिए **"Mukhya Mantri Green Cover Mission"** के अन्तर्गत प्रदेश के 12 जिलों में 250 हेक्टेयर का चयन किया जाएगा। चयनित क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल पौधों की species का रोपण किया जाएगा।

140. इस समय JICA परियोजना शिमला, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू, काँगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पिति में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक वन प्रबन्धन, Biodiversity का विस्तार और स्थानीय समुदायों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत 2023–24 में 2,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 400 सक्रिय स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पर्यावरण, विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी

141. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार राज्य में हरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए स्थानीय स्तर पर प्रभावी संस्थागत तंत्र का सृजन आवश्यक है। इसके लिए पर्यावरण विभाग में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

142. पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवम् जलवायु परिवर्तन विभाग में Bio-degradable पदार्थों से प्लेटें इत्यादि तथा पत्तल बनाने के लिए अनुसंधान के उद्देश्य से एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना तथा संचालन Corporate Social Responsibility (CSR) के माध्यम से किए जाएंगे।

143. अध्यक्ष महोदय, भारत के स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी की **'Digital India'** की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने एक कार्ययोजना तैयार की है। अब मैं अपने बजट अभिभाषण के अगले कुछ पैरों में इस कार्ययोजना का उल्लेख करना चाहूँगा।

144. सरकारी कार्य में शीघ्रता लाने के लिए सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई–ऑफिस व्यवस्था स्थापित की जाएगी। प्रदेश सचिवालय के सभी प्रभागों को 1 जुलाई, 2023 से ई–ऑफिस से जोड़ा जाएगा।

145. नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करने और उसकी स्थिति की जांच करने के लिए **'मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन'** को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए Whatsapp और स्वचालित Chat Bot का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा, 'मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन' में आवारा पशुओं की सूचना देने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। नागरिकों द्वारा आवारा पशुओं की सूचना देने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया जाएगा जो **'मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन'** के साथ एकीकृत होगा।

146. इस समय Direct Benefit Transfer (DBT) के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कुछ योजनाओं का डाटा मैनुअली एकत्रित किया जा रहा है। इस डाटा को मुख्यालयों को भेजने में समय लगता है। डाटा संचार और प्रबन्धन में देरी को समाप्त करने के लिए फील्ड स्तर से डाटा को दर्ज़ करने के लिए एक DBT Portal विकसित किया जाएगा।

147. हमारी सरकार द्वारा ड्रोन और ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीति और ड्रोन–सक्षम शासन तैयार किया जाएगा। वे विभाग जिन्हें ड्रोन का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है जैसे पुलिस, वन, लोक निर्माण,

आपदा प्रबन्धन, कृषि एवम् स्वास्थ्य विभाग इत्यादि, उनके कर्मियों को प्रमाणित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

148. हमारी सरकार स्टेट डाटा सेन्टर का विस्तार करेगी। अगले चार महीनों में विभिन्न विभागों के अलग–अलग data bases को integrate करके **"Integrated Data Base Management System"** तैयार किया जाएगा। कृषि, पशुपालन, श्रम और रोज़गार इत्यादि विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की DBT mapping इसी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

149. राज्य में सभी परिवारों के सदस्यों से सम्बन्धित सूचना एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करने के लिए **''हिम परिवार''** नाम से रजिस्ट्री स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। इस रजिस्टर में PDS, ई–कल्याण एवम् अन्य पोर्टल पर परिवार के सदस्यों की सूचना को एकीकृत किया जाएगा। इसके अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को एक Unique ID प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेशवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर बहुत कम समय में मिल पाएगा तथा उन्हें सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेगें। अगले चार महीनों में स्थापित होने वाली इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों को केवल एक ही बार आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवाने पड़ेंगे।

150. प्रदेश में बचे गाँवों को ऑप्टीकल फाइबर केबल से 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे बिछाने का काम शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। राज्य के हर कोने में विश्वसनीय तथा हाईस्पीड कनैक्टीविटी प्रदान करने की दिशा में यह कारगर कदम होगा। 5G सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में भी उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे जिससे प्रदेशवासियों को मिलने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सेवाएं को और प्रभावी बनाया जा

सके। इसके लिए 2023–24 में 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

151. इस समय राज्य में 5,000 लोकमित्र केन्द्र काम कर रहे हैं। लोकमित्र केन्द्रों की संख्या को 6,000 किया जाएगा जिससे गाँव में रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेशवासियों के लिए internet आधारित सेवाओं का विस्तार होगा।

भू–प्रशासन, सुधार एवम् आपदा प्रबन्धन

152. अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग में online registration के कार्य को 175 उप–रजिस्टरार कार्यालयों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। 2023–24 में online registration की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

153. हमीरपुर जिला में 'स्वामित्व योजना' के सफल कार्यान्वयन के बाद हमारी सरकार द्वारा शेष बचे जिलों में मार्च, 2024 तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सम्बन्धित पक्षों को सम्पति कार्ड वितरित किए जा सकेंगे।

154. HP Ceiling on Land Holding Act, 1972 में परिवार में पुत्र को अलग ईकाई माना गया है। लड़कियों को अलग ईकाई मानने से वंचित रखा गया है। इस प्रावधान के चलते किसी व्यक्ति को परिवार में उसके पुत्र को अलग पारिवारिक ईकाई मानते हुए अनुमत सीमा (permissible limit) से दुगनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार है। HP Ceiling on Land Holding Act, 1972 में संशोधन कर बेटियों को अलग ईकाई बनाया जाएगा।

155. लाहौल–स्पिति तथा किन्नौर जिलों में मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र की सहायता से डॉपलर राडार स्थापित किए जाएंगे। काँगड़ा/हमीरपुर क्षेत्र में एक उच्च

तकनीक **'Earthquake Laboratory cum Data Analysis Centre'** स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

156. 'आपदा मित्र योजना' के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से, 2024 तक हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और भूकम्प की आशंका वाले 9 संवेदनशील जिलों में 1,500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

157. फ्रांस के Development Bank - AFD (*Agence Française de Developement*) के माध्यम से 800 करोड़ रुपये के Disaster Risk Reduction and Preparedness Project (DRRP) को स्वीकृत करवाने में गति लाई जाएगी।

158. हमारी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भू–कोड और भू–अभिलेख मैनुअल का संशोधन किया जाएगा। 30 वर्ष पुराने इन नियमों का संशोधन और सरलीकरण आवश्यक हो गया है। नियमों में संशोधन करके mutation और demarcation को समयबद्ध किया जाएगा ताकि आम जनता को राजस्व कार्यालयों में बार–बार चक्कर न लगाने पड़ें।

अतिरिक्त संसाधन

159. अध्यक्ष महोदय, विकट वित्तीय परिस्थितियों के चलते पहली बार हमारी सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के भी प्रयास किए गए हैं, जिनमें से निम्न मुख्य हैं:–

- ✓ बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाले पानी पर **'Water Cess'.**
- ✓ आबकारी नीति में बदलाव करके इसे और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। अब पारदर्शी और खुली नीलामी के माध्यम से और भी अधिक राजस्व जुटाया जाएगा।

- ✓ GST मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए **"GST Revenue Enhancement Project"** शुरु किया जाएगा। परियोजना से सामान्य राजस्व वृद्धि के अलावा लगभग 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व वृद्धि अपेक्षित है।

- ✓ नई योजना **"सद्भावना योजना – 2023"** व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए इसी वर्ष शुरु की जाएगी। इसके तहत सामान्य बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर और प्रवेश शुल्क इत्यादि अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों को निपटाया जाएगा।

- ✓ प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये **'दूध सैस'** लगाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा।

- ✓ अवैध खनन पर रोक लगाते हुए खनन द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इन प्रयासों से प्रदेश की आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए फिजूल खर्ची को रोका जाएगा और सरकारी व्यय का युक्तिकरण किया जाएगा।

श्रम एवम् रोजगार

160. अध्यक्ष महोदय, युवाओं को रोज़गार प्रदान करने की गारंटी की कड़ी में, मैं **''मुख्य मन्त्री रोज़गार संकल्प सेवा''** शुरु करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए **Employment MIS Software** में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के दूर–दराज़ के क्षेत्रों के युवाओं को प्रदेश, देश

और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोज़गार अवसरों से जोड़ा जाएगा, ताकि प्रदेश के युवाओं की उचित Job placement हो सके।

161. एक नई पहल के अन्तर्गत युवाओं को विदेशों में रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम एवम् रोज़गार विभाग विभिन्न दूतावासों और outside एवम् overseas Himachalis से सम्पर्क करके युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए मदद करेगा।

गृह/कानून व्यवस्था

162. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मादक पदार्थों की सुनियोजित तस्करी को रोकने एवम् अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नशे की तस्करी से अर्जित की गई अवैद्य सम्पति को जब्त करने के लिए मेरी सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं।

163. शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्तमान Police Station भवनों के ऊपर अथवा आस–पास की भूमि पर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

164. हमारी सरकार प्रदेश में कानून एवम् व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा। अपराधियों एवम् अपराधों तथा खनन सम्बन्धित गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए पुलिस फोर्स द्वारा drones का प्रयोग किया जाएगा।

भाषा एवम् संस्कृति

165. अध्यक्ष महोदय, शिमला के ऐतिहासिक बैंटनी कैसल को जल्द ही पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। बैंटनी कैसल में सैलानियों के मनोरंजन के लिए वर्चुअल एवम् डिजिटल संग्रहालय की स्थापना व पार्क के साथ **''मानव संग्रहालय''** स्थापित किया जाएगा।

166. प्रदेश व देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों में हर वर्ष **''हिमाचल–उत्सव''** का आयोजन किया जाएगा जिनके माध्यम से प्रदेश की संस्कृति एवम् कला का प्रचार और प्रसार हो सकेगा।

युवा सेवाएं एवम् खेल

167. 'खेलो इण्डिया सेन्टर' में 30 बिस्तर वाले खेल छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। खेलो इण्डिया सेन्टर, बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से शुरु किया जाएगा।

168. नशा मुक्ति केन्द्रों में स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग की मदद से खेलों के प्रति जागरुकता शिविर लगाए जाएंगे ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके।

जनजातीय विकास

169. अध्यक्ष महोदय, जनजातीय क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास तथा जनजातीय लोगों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में 'जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (टीएडीपी)' के तहत 857 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा 'जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के अन्तर्गत केन्द्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपये का परिव्यय भी प्रस्तावित है।

170. घनाहट्टी, शिमला में जनजातीय अनुसंधान एवम् प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के कार्य में तेज़ी लाई जाएगी।

सैनिक कल्याण

171. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता पर भरेगी।

सहकारिता

172. अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। इन सभाओं के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के उद्देश्य से इनके रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 870 सभाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

2027 तक सभी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जाएगा।

मानदेय वृद्धि

173. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:–

- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 9,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 6,600 रुपये मिलेंगे।
- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 5,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- आशा वर्कर को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 5,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी की जाएगी।
- मिड डे मील वर्कर्ज़ को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल रक्षक को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

- आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 11,250 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पंचायत चौकीदार को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- राजस्व चौकीदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- राजस्व लम्बरदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 3,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- IT Teachers को 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

विधायक प्राथमिकताएं

174. प्रत्येक वर्ष की भाँति हमारी नई सरकार ने भी फरवरी माह में माननीय विधायकों के साथ बैठकों का सफल आयोजन किया। इन बैठकों में सामने आए सुझावों के आधार पर तथा विकट वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत् मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- अधिकांश विधान सभा क्षेत्र 'विधायक प्राथमिकता योजनाओं' के लिए निर्धारित सीमा पार कर चुके हैं तथा कुछ विधान सभा क्षेत्रों में बहुत कम कार्य हुए हैं। इस विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से, माननीय विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों के

आधार पर, विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए शीघ्र ही नए दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

- 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत 2022–23 की अन्तिम तिमाही की राशि को वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते रोका गया था। परिस्थितियाँ अभी भी विकट हैं तथा आने वाले समय में और गंभीर होने वाली हैं। इसके बावजूद मैं इस राशि को 2023–24 में 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र करने की घोषणा करता हूँ।
- विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख रुपये से बढ़ाकर 13 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।

भर्तियां

175. हमारी सरकार इस वर्ष 25 हज़ार विभिन्न functional पदों को भरेगी। सरकार स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों जिनमें विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर, नर्सें, रेडियोग्राफर, OT सहायक, Lab टैक्निशियन, फार्मासिस्ट, MRI टैक्निशियन, ECG टैक्निशियन तथा अन्य टैक्निशियनों के पद आदि शामिल हैं, मैडिकल कॉलेजों में समुचित फैकल्टी, तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अध्यापक एवम् इंस्ट्रक्टर, शिक्षा विभाग में विभिन्न वर्गों के शिक्षकों की भर्ती, पुलिस आरक्षी भर्ती, राजस्व विभाग के कर्मी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर व कर्मी, शहरी निकायों के लिए स्टाफ, पंचायत सचिव, पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक और ग्राम रोज़गार सहायक, जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पम्प ऑपरेटर तथा Multi Task Part Time Workers, बिजली बोर्ड के तकनीकी पद जैसे लाईनमैन, जूनियर T-Mate इत्यादि, विभिन्न विभागों में लिपिक, JOA (IT), आदि शामिल हैं, को भरेगी।

176. आऊटसोर्स कर्मियों को मिलने वाले लाभों को समय पर प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कर्मियों का किसी प्रकार से शोषण न हो। इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

बजट अनुमान

177. अध्यक्ष महोदय, अब, मैं 2022–23 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 38 हज़ार 945 करोड़ रुपये हैं। 2022–23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45 हज़ार 115 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2022–23 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6 हज़ार 170 करोड़ रुपये का राजस्व deficit अनुमानित हैं।

178. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2023–24 के लिए 53 हज़ार 413 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

179. वर्ष 2023–24 में राजस्व प्राप्तियाँ 37 हज़ार 999 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 42 हज़ार 704 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4 हज़ार 704 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 9 हज़ार 900 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 प्रतिशत् है।

180. मुझे विश्वास है कि प्रभावी कर अनुपालन, भारत सरकार के सहयोग तथा बेहतर वित्तीय प्रबन्धन से संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

181. 2023–24 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 26 रुपये, पैंशन पर 16 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 10 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये, जबकि शेष 29 रुपये पूँजीगत कार्यों

सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

182. अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु **अनुबन्ध** में दर्शाए गए हैं।

183. अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में global warming और climate change जैसे दुष्प्रभावों से बचाव के साथ–साथ प्रदेश को Green State के रूप में विकसित करने के लिए एक नई दिशा सुझाई गई है। इसमें पर्यटन, परिवहन, सड़कें तथा पुल और ऊर्जा के क्षेत्र में infrastructure के विकास तथा digitization के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए अतिरिक्त रोज़गार अवसर उपलब्ध होंगे और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा नैट के विस्तार के लिए इस बजट में सुख–आश्रय सहित कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रों में की गईं पहलें किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि के साथ–साथ इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगी। विकास नीति में यह बदलाव प्रदेश की आर्थिकी में मजबूती लाएगा और प्रदेशवासियों के भविष्य को हरित, समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द–जय हिमाचल

बजट सांराश

बजट के मुख्य बिन्दु

1. 53 हज़ार 413 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।
2. 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश का Green Energy State के रूप में विकास
3. पर्यटन विकास को प्राथमिकता
4. World Class Technology के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
5. शिक्षा में गुणवत्ता व सुधार के लिए नई पहल
6. सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
7. कृषि, बागवानी, पशुपालन एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर
8. आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन
9. डिजिटाईज़ेशन
10. पैरा वर्कर्ज़, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण
11. अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्ताव।

1. Green Energy का विस्तार

- हिमाचल प्रदेश का 31 मार्च, 2026 तक Green Energy State के रूप में विकास।
- वर्ष 2023–24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने का लक्ष्य।
- प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी अथवा लीज़ पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की

सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत् अनुदान।

- हिमाचल प्रदेश को **'Model State for Electric Vehicles'** के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी व सरकारी क्षेत्र के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से Electric वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- प्रथम चरण में 6 राष्ट्रीय एवम् राज्य उच्च मार्गों का electric वाहनों के माध्यम से Green Corridor के रूप में विकास।

- Private Bus Operators को e-bus, तथा Private Truck Operators को e-truck खरीद के लिए 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का उपदान। Private Operators को Charging Station स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत का उपदान।

- हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1,500 डीज़ल बसों को ई–बसों से चरणबद्ध ढंग से बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का व्यय।

- 20 हज़ार मेधावी छात्राओं को Electric Scooty पर 25 हज़ार रुपये तक का उपदान।

- हिमाचल प्रदेश को अग्रणी Green Hydrogen अर्थव्यवस्था बनाने के लिए Green Hydrogen नीति बनाई जाएगी।

- हाईड्रो पावर में 1,000 मैगावाट के प्रोजैक्टों का कार्य पूरा।

- प्रत्येक जिले की दो पंचायतों को पायलट आधार पर Green पंचायतों में विकसित किया जाएगा।

- विश्व बैंक की सहायता से 2,000 करोड़ रुपये की लागत से **"हिमाचल प्रदेश पावर सैक्टर डवैलपमेंट प्रोग्राम"** आरम्भ किया जाएगा।

- HPTCL द्वारा 464 करोड़ रुपये की लागत से 6 EHV सब–स्टेशनों, 5 ट्रांसमिशन लाईनों व एक **'संयुक्त नियंत्रण केन्द्र'** के निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाएगा।

- ऊर्जा के क्रय–विक्रय के दक्ष प्रबन्धन हेतु **'Centralized Cell'** स्थापित किया जाएगा।

2. पर्यटन विकास

- मंडी एवम् काँगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू–अधिग्रहण प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

- जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा।

- संजौली और बद्दी से हैलीटेक्सी का संचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा।

- काँगड़ा जिला को हिमाचल प्रदेश के **'Tourism Capital'** के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शामिल होंगेः–

  - ✓ International standard के गोल्फ़ कोर्स का निर्माण।

  - ✓ स्थानीय कला एवम् संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए **'पर्यटक ग्राम'** की स्थापना।

  - ✓ वरिष्ठ नागरिकों के लिए Old Age Home विकसित किए जाएंगे।

  - ✓ आइस स्केटिंग एवम् रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण।

  - ✓ पौंग डैम में वॉटर स्पोर्टस, शिकारा, क्रूज़, यॉट इत्यादि की व्यवस्था।

  - ✓ बनखण्डी में 300 करोड़ रुपये की लागत से चिड़ियाघर का निर्माण।

- ADB के माध्यम से 1,311 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत काँगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी सहित अन्य जिलों में Heritage

Sites के सौन्दर्यकरण, eco tourism एवम् पर्यटन सुविधाओं के लिए कार्ययोजना।

- प्रदेश के युवाओं को पर्यटन एवम् आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास के लिए वाकनाघाट में 68 करोड़ रुपये से **"उत्कृष्ट केन्द्र"** के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा।

3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण एवम् विस्तार

- सभी मैडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से Robotic Surgery की सुविधा।
- 100 करोड़ रुपये की लागत से मैडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन व चम्बा के भवनों के कार्य पूरा करके उनका लोकार्पण किया जाएगा तथा इनमें नर्सिंग कॉलेज आरम्भ किए जाएंगे।
- प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों में casualty विभाग को upgrade करके Emergency Medicine Department स्थापित किया जाएगा।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को **"आदर्श स्वास्थ्य संस्थान"** के रूप में विकसित किया जाएगा।
- मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर केयर के लिए एक **'Centre of Excellence'** व Nuclear Medicine Department की स्थापना।
- सभी मैडिकल कॉलेजों में PET Scan सुविधा।
- स्वास्थ्य संस्थानों के लिए उचित मूल्य पर अच्छी Quality की दवाईयां, मशीनरी व उपकरण की खरीद व आपूर्ति के लिए **"Himachal Pradesh Medical Services Corporation"** की स्थापना।

- टाईप–1 शुगर से पीड़ित गर्भवती महिलाओं व बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवायें जाएंगे।

4. शिक्षा में सुधार एवम् आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार

- Qualitative शिक्षा सुधार हेतु कार्ययोजना बनाई जाएगी।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में **"राजीव गांधी गर्वनमेंट मॉडल डे–बोर्डिंग स्कूल"** खेल सुविधाओं, स्वीमिंग पूल इत्यादि सहित खोले जाएंगे।
- प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण व नेशनल डिजिटल लाईब्रेरी की access प्रदान की जाएगी।
- महाविद्यालयों में वर्ष में दो बार रोज़गार मेलों तथा Special Placement Drive का आयोजन।
- शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने तथा Information and Communication Technology उपयोग करने के लिए प्रत्येक सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में लाईब्रेरी की स्थापना, 10 हज़ार मेधावी छात्रों को Tablets, 762 स्कूलों में 'ICT योजना' के अन्तर्गत Digital Hardware तथा Software, 17 हज़ार 510 प्राईमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए Tablets तथा 40 हज़ार बच्चों के लिए डैस्क की व्यवस्था।
- स्पोटर्स होस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाईट मनी को बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा संस्थानों में Value Added Course जैसे Robotics, Block-chain Technology, Cyber Security, Cloud Computing, Data Analytics, Artificial Intelligence और Machine Learning, Electric Vehicles Mechanic, Maintenance Mechanic, Solar Technician, Drone

Technician, Mechatronics तथा Internet of Things Technician आदि के कोर्स।

- प्रदेश के 11 राजकीय ITIs में ड्रोन सर्विस टैक्निशियन कोर्स चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे।
- विश्व बैंक की STRIVE परियोजना में 12 ITIs, में सुविधाओं और Infrastructure को उन्नत किया जाएगा।
- 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलीटेक्निकों में **''MERITE योजना''** को आगामी पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
- कौशल विकास निगम द्वारा ड्रोन, **'Electric Vehicles'** एवम् सौर ऊर्जा क्षेत्रों में 500–500 युवाओं को प्रशिक्षण।

5. सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार

- गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को 416 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के व्यय से 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक पैंशन दी जाएगी।
- अनाथ, अर्ध–अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए **"मुख्य मन्त्री सुख–आश्रय योजना"**। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे/व्यक्ति **'Children of State'** कहलाएंगे तथा इनके लिए **"सरकार ही माता – सरकार ही पिता"** का दायित्व निभाएगी।
- इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि से मुख्य मन्त्री सुख–आश्रय कोष, बच्चों, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को अत्याधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाना, सुन्दरनगर एवम् ज्वालामुखी में **"आदर्श ग्राम सुख–आश्रय परिसर"** का निर्माण, सरकारी गृहों में

बेहतर सुविधाएं तथा गुणवत्ता शिक्षा, कैरियर परामर्श आदि सुविधाएं। अनाथ बच्चों को वर्ष में एक बार राज्य के बाहर शैक्षणिक दौरों पर भी ले जाया जाएगा तथा उनको हवाई यात्रा तथा 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा भी।

- 18 से 27 वर्ष की आयु वर्ग के अनाथ व्यक्तियों को शिक्षा, छात्रावास, व्यवसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन।

- युवाओं को प्रदेश, देश व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोज़गार अवसर प्रदान करने के लिए **"मुख्य मन्त्री रोज़गार संकल्प सेवा"** योजना।

- विधवाओं एवम् दिव्यांगजनों को पैंशन पाने के लिए आय सीमा समाप्त।

- दिव्यांगजन **"राहत भत्ता योजना"** के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ।

- सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अन्तर्गत 40 हज़ार नए पैंशन मामले।

- 7,000 विधवाओं और एकल नारियों को घर बनाने के लिए एक नई योजना **"मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना"**।

- गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए **"मुख्य मन्त्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना''** के अन्तर्गत ऋण के ब्याज पर उपदान।

- 20 हज़ार मेधावी छात्राओं को **Electric Scooty** पर 25 हज़ार रुपये तक का उपदान।

- **"मुख्य मन्त्री सुरक्षित बचपन अभियान"** आरम्भ।

- **"नशा एवम् मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान"** का आरम्भ।

- मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने व अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे तथा नशे की

तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त किया जाएगा।

6. किसानों, बागवानों, पशुपालकों एवम् मत्स्य क्षेत्र में नए अवसर

- Cluster Approach के आधार पर कृषि के समग्र विकास के लिए, एकीकृत **"हिम उन्नति"** योजना।
- **"मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना"** के अन्तर्गत जालीदार बाड़ पर उपदान।
- **'Sub-Mission on Agriculture Mechanization'** के अन्तर्गत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत उपदान।
- कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में Start-ups को प्रोत्साहित करने के लिए 2 प्रतिशत की दर से ऋण।
- दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए **"हिम–गंगा"**।
- मिल्क प्रौसेसिंग प्लांट स्थापित तथा स्तरोन्नत किए जाएंगे।
- 44 मोबाईल वैनज़ के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा।
- 1,292 करोड़ रुपये से **"हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना"** के अन्तर्गत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास।
- FPOs के सहयोग से ग्रेडिंग/पैकिंग हाऊस, व कोल्ड स्टोर स्थापित किए जाएंगे।
- Fish Farming के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्ययोजना। 120 नई ट्राउट इकाईयों सहित निजी क्षेत्र में 20 हैक्टेयर नए मछली तालाबों का निर्माण। मछुआरों को 1,000 फेंकवा जाल (Cast Net) उपदान पर।
- मछली तालाबों के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत उपदान।

- मछली पालन से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण हेतु Carp Farm Gagret में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

7. आधारभूत संरचना एवम् निजी निवेश को प्रोत्साहन

- **"राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना"** के अन्तर्गत स्वरोज़गार हेतु Dental Clinics में मशीनरी एवम् औजार, मत्स्य इकाईयों, ई–टैक्सी तथा 1 मैगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्टस सम्मिलित। ई–टैक्सी पर मिलने वाला उपदान सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत होगा।

- **"नई ओद्यौगिक नीति"** तथा निवेशकों की सुविधा के लिए **"Bureau of Investment Promotion"** की स्थापना।

- 2023–24 में 20 हज़ार करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ 90,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर।

- **'एक जिला एक उत्पाद'** को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **"Unity Mall"** का निर्माण।

- प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए 50 **'हिम–ईरा'** दुकानें स्थापित की जाएंगी।

- 15 अगस्त, 2023 तक शेष बचे 1,040 'अमृत सरोवरों' का निर्माण पूरा किया जाएगा।

- 500 चिन्हित बस रूटों पर युवाओं को ई–वाहन चलाने के लिए परमिट।

- 12 बस अड्डों का निर्माण।

- हमीरपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से Bus Port.

- शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या से निजात दिलवाने के लिए बड़े पार्किंग स्थलों का PPP Mode में निर्माण।

- शिमला में पायलट आधार पर **Multi Utility Duct** का निर्माण तथा विभिन्न यूटिलिटी लाईनों को बिछाने के लिए नीति।

- **"प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) I व II"** के अन्तर्गत 150 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 650 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 200 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज कार्य व 9 पुलों का निर्माण।

- PMGSY-III के अन्तर्गत 422 करोड़ रुपये की लागत से 440 किलोमीटर लम्बी 45 सड़कें स्वीकृत।

- 178 किलोमीटर लम्बाई के 5 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 2 लेन से 4 लेन स्तरोन्नत करने के लिए 4 हज़ार 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित।

- नाबार्ड (RIDF) के अन्तर्गत 250 किलोमीटर नई सड़कों, 350 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर पक्की सड़कों व 27 पुलों का निर्माण।

- CRIF के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की 5 सड़कें/ पुल परियोजनाएं भारत सरकार को वित्त पोषण हेतु प्रेषित।

- **"मुख्य मन्त्री सड़क एवम् रख–रखाव योजना"** का आरम्भ।

- पेयजल एवम् सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन में source sustainability के लिए कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत् प्रावधान।

- प्रदेश के 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन व करसोग में सीवरेज स्कीमों का निर्माण।

- पेजयल, सिंचाई तथा सीवरेज स्कीमों के रख–रखाव एवम् परिचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 हज़ार पद भरे जाएंगे।

- जाठिया देवी, शिमला में नए शहर का विकास।

8. डिजिटाईजेशन एवम् गर्वनेंस

- प्रदेश सचिवालय, सभी निदेशालयों तथा उपायुक्त कार्यालयों में ई–ऑफिस की व्यवस्था।

- **'मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन'** के लिए Whatsapp व स्वचालित Chat Bot का उपयोग।

- आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाईल ऐप का **'मुख्यमन्त्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन'** के साथ एकीकरण।

- लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के सीधे पहुँचाने के लिए DBT Portal ।

- ड्रोन व ड्रोन प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक व्यापक नीति व ड्रोन–सक्षम शासन।

- **"State Data Centre"** का विस्तार।

- परिवारों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना के साथ **"हिम परिवार"** की स्थापना। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी।

- प्रदेश में 4G तथा 5G सेवाओं का विस्तार।

- लोकमित्र केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6,000 होगी।

- प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं का कम्प्यूटरीकरण।

9. पैरा वर्कर्ज़, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार तथा अन्य वर्गों का कल्याण

- बढ़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,500 रुपये मासिक, मिनि आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,600 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,200 रुपये, आशा वर्कर को 5,200 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 4,000 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 4,400 रुपये, जल रक्षक को 5,000 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 4,400 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 6,000 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 375 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी,

आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 11,250 रुपये, पंचायत चौकीदार को 7,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,500 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 3,700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये, IT Teachers को 2,000 रुपये, SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।

- पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों एवम् उपाध्यक्षों के मानदेय में 5,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद, अध्यक्ष, पंचायत समिति, उपाध्यक्ष पंचायत समिति, सदस्य, पंचायत समिति, प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि।

- स्थानीय नगर निकायों में महापौर एवम् उप–महापौर नगर निगम के मानदेय में 5,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम् पार्षद नगर परिषद तथा प्रधान, उप–प्रधान एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि।

- मनरेगा दिहाड़ी में 28 रुपये की बढ़ौतरी की जाएगी। इससे लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूरों को लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर 100 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी।

- **"मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना"** के अन्तर्गत छोटे दुकानदारों जैसे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी–फड़ी वाले इत्यादि को 50 हज़ार रुपये तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

10. अन्य

- **'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना'** की राशि अब प्रति विधान सभा क्षेत्र 2 करोड़ 10 लाख रुपये होगी।

- **'विधायक ऐच्छिक निधि'** को बढ़ाकर 13 लाख रुपये किया गया।

- **'विधायक प्राथमिकता योजनाओं'** के लिए माननीय विधायकों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर नए दिशा–निर्देश जारी किए जाएंगे।

- सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन् पर अंकुश लगाने के लिए **'Flying Squad'** का गठन।

- HRTC द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GIS based **"व्हीकल लोकेशन ऐप"**।

- राजस्व विभाग में Online Registration के कार्य को पूरे प्रदेश में किया जाएगा।

- **'स्वामित्व योजना'** को शेष बचे जिलों में मार्च, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **"हिमाचल प्रदेश भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972"** में संशोधन कर बेटियों को अलग इकाई बनाया जाएगा।

- लाहौल–स्पिति व किन्नौर जिलों में मौसम की जानकारी के लिए डॉपलर राडार स्थापित किए जाएंगे।

- **'आपदा मित्र योजना'** के अन्तर्गत बाढ़, भूस्खलन व भूकम्प की आशंका वाले जिलों में 1,500 सामुदायिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

- Forest Clearance cases के शीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समीतियों का गठन।

- **"Mukhya Mantri Green Cover Mission"** के अन्तर्गत जलवायु अनुकूल हरित आवरण।

- आम जनता की सुविधा व प्रक्रिया में सरलीकरण के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश भू–कोड व भू–अभिलेख मैनुअल का संशोधन।

- शहरी क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा।
- अपराधों तथा खनन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा ड्रोनज़ का प्रयोग।
- प्रदेश की संस्कृति एवम् कला के प्रचार व प्रसार के लिए राज्यों के प्रमुख शहरों में **"हिमाचल उत्सव"** का आयोजन।
- 25,000 सरकारी पदों पर भर्ती।

11. अतिरिक्त संसाधन

- GST मुआवज़े के घाटे को कम करने के लिए **"GST Revenue Enhancement Project"** ।
- **'सद्भावना योजना 2023'** के अन्तर्गत व्यापारियों, निर्माताओं, थोक व खुदरा विक्रेताओं के विभिन्न अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों को निपटाया जाएगा।
- आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव।
- शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये **"दूध सेस"**। जिसका प्रयोग दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा।
- बिजली बनाने के लिए लगने वाले पानी पर **'वॉटर सैस'**।

******